

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा असाड़ा पंचपदरा की खेत खसरा संख्या 1955/918 रकबा 60 00 बीघा व खसरा संख्या 2147/1432 रकबा 17 02 बीघा भूमि का विभाजन पदाकारन के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हेक्ट. में)	किरम भूमि	लगान	बरम
1	रामाराम पुत्र प्रामाराम हिरसा 6/7. सावलाराम हरीराम पि.रामाराम हिरसा 1/7 कौम कलबी सा. देह खातेदार	असाड़ा	1955/918	7.5541	बा.सां.	3.78	नक्शे दर्शित अनुसार
2	रामाराम पुत्र प्रामाराम कौम कलबी सा.देह खातेदार	असाड़ा	2147/1432	0.9227	बा.अ.	1.20	नक्शे दर्शित अनुसार
3	नवाराम कुंभाराम पि. रणछोड़राम कौम कलबी सा.देह खातेदार	असाड़ा	1955/918 2147/1432	2.1583 1.8453	बा.सां. बा.अ.	1.08 2.40	नक्शे दर्शित अनुसार

तहसीलदार,पंचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण

भरकर बाद जांच तरदीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें ।

(राजेशकुमार)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 04.9.2023 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।



(एस.डी.ओ.)बालोतरा
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
(S.D.O.)

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- श्री विवेक कुमार आर ए एस.

अपवाद

वादी	बनाम	प्रतिवादी
रामाराम पुत्र धाराराम		1. रामाराम पुत्र रामाराम
जाति कलबी निवासी असाड़ा		2. हरि लाल पुत्र रामाराम
तहसील पंचपदरा व जिला बाड़मेर		3. रामाराम पुत्र रामाराम
		4. कुमाराम पुत्र रामाराम
		कौम कलबी निवासी असाड़ा
		तहसील पंचपदरा व जिला बाड़मेर
		5. राजेश्वर राज्य जरिमे तहसीलदार
		पंचपदरा

राजस्व वाद बाबत-63,188 आर टी एकट

मुकदमा नम्बर 34/2022

निर्णय दिनांक - 04.9.2023

वादी की ओर से श्री ओमप्रकाश डामो अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 2 की ओर से श्री जोगाराम दामो अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 04.9.2023 को श्री राजेशकुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 04.9.2023 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पंचपदरा को आदेश दिये जाते हैं कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 04.9.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(राजेशकुमार)

(राजेशकुमार)

सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	-	जोड़	-

(राजेशकुमार)

सहायक कलक्टर

(S.D.O.) बालोतरा